कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री टाटा स्टील लि0, 16 / 97, नवरोज बिल्डिंग, दि माल, कानपुर।.**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**013 / 13, 04.04.2013**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री टाटा स्टील लि0, 16 / 97, नवरोज बिल्डिंग, दि माल, कानपुर द्वारा दिनांक 04.04.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि टाटा स्टील लिमिटेड (TSL) ने एडवान्स स्टील ट्यूब्स (AST) को कन्वर्जन एजेन्ट बनाया है। TSL H.R. Coil, AST को देते हैं। AST उससे ट्यूब बना कर वापस TSL को दे देते हैं। TSL द्वारा ट्यूब की बिक्री की जाती है। उपरोक्त स्थिति में निम्न प्रश्न पूछे गये हैं :-

(1) क्या TSL को निर्माता माना जायेगा ?

(2) क्या TSL प्रवेश कर अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत प्रवेश कर वसूलने के लिए अधिकृत है ?

(3) क्या TSL को प्रवेश कर अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या-418, दिनांक 31.03.2011 के अन्तर्गत रिबेट अनुमन्य होगा ?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 13.02.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि TSL द्वारा AST से ट्यूब बनवाकर बेचा जाता है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-2 (u) की परिभाषा के अनुसार TSL निर्माता हैं एवं उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, 2007 की धारा-12 के अन्तर्गत स्टील ट्यूब की बिक्री पर नियमानुसार प्रवेश कर प्राप्त करके जमा करने का दायित्व है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने H.R. coil से Steel Tube का निर्माण करना बताया है एवं H.R. coil की खरीद प्रान्त बाहर से करना स्वीकार किया है। शासन की विज्ञप्ति संख्या-422, दिनांक 31.03.2011 द्वारा प्रवेश कर योग्य आयरन एवं स्टील से H.R. coil को बाहर कर दिया गया है। अत: दिनांक 01.04.2011 से H.R. coil पर प्रवेश कर की देयता भी नहीं है। अत: रिबेट का कोई प्रश्न नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि रिबेट की देयता से सम्बन्धित प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) से आच्छादित नहीं है। अत: इसका उत्तर देय नहीं है।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा एडवान्स स्टील ट्यूब से ट्यूब का निर्माण कराया गया है। अत: टाटा स्टील लिमिटेड निर्माता हैं। निर्माता होने के कारण उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, 2007 की धारा-12 के प्राविधान उन पर लागू होते हैं एवं उन्हें क्रेताओं से प्रवेश कर नियमानुसार प्राप्त करना होगा। रिबेट से सम्बन्धित प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधानों के अनुसार ग्राह्य नहीं है। अत: इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 14 मार्च, 2014

ह0 / 14.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।